न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 222/17 (RCMS No. 2017/00237) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

ऋषिकेश पुत्र भरोसी जाति मीना निवासी रामापुरा (घुराकर) तहसील व जिला करौली

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कलावती पुत्री फटटू धर्मपत्नि देवी लाल जाति मीना निवासी घुराकर हाल निवासी थूमा तहसील सपोटरा जिला करौली
2. सरपंच ग्राम पंचायत अतेवा
3. सब रजिस्ट्रार तहसील करौली

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी करौली दिनांक 25.05.2017 एवं नामा0 सं0 46 दिनांक 08.06.75 ग्राम घुराकर तहसील करौली

उपस्थितिः—

1. श्री कृष्ण कुमार सिंघल वकील अपीलान्ट
2. श्री कुलदीप सिंह धाभाई वकील रैस्पो0

नि र्ण य दिनांकः—24.05.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी करौली के निर्णय दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि फट्टू पुत्र मंगल जाति मीना के फौत होने पर उसकी विरासत सरपंच ग्राम पंचायत अतेवा द्वारा परमाल पुत्र फट्टू कौम मीना के नाम नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 08.06.1975 से दर्ज की गई। इस आदेश के विरूद्ध कलावती पुत्री फट्टू जाति मीना ने उपखण्ड अधिकारी करौली के न्यायालय में अपील इस आशय की पेश की थी कि रैस्पो0 परमाल व अपीलान्ट कलावती दोनों बहिन भाई हैं जो मृतक के एक मात्र वारिस हैं परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत अतेवा द्वारा मृतक की विरासत केवल परमाल के नाम दर्ज की है जबकि कलावती 1/2 हिस्से की हकदार थी। अधीनस्थ न्यायालय ने

अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। अपीलान्ट को विवादित नामा0 की जानकारी नही थी। जानकारी दिनांक 20.08.2005 को होने पर, नकल प्राप्त कर, जानकारी की दिनांक से अपील पेश की है। अतः नामा0 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट कलावती के नाम विवादित आराजी का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 ग्राम पंचायत बीनसपुर कैम्प में रखकर अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार करौली को पुनः सुनवाई कर, मृतक फटटू एवं मृतक परमाल पुत्र फटटू के वारिसान की जॉच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय के लिये रिमाण्ड कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि फट्टू पुत्र मंगल के फौत होने पर उसका एक मात्र पुत्र परमाल पुत्र फट्टू जाति मीना था। ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का नामा0 विधि अनुरूप दर्ज किया गया है। क्योंकि मीना जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं। मीना जाति में पुत्रियों को कोई कानूनी अधिकार हॉसिल नही है। ग्राम पंचायत ने सही नामान्तरकरण दर्ज किया है। अपने पक्ष के समर्थन में 1966 आरआरडी 71 एवं 2016(2)आरआरटी 1437 उदृत की। उनका तर्क है कि कलावती ने नामा0 की अपील 30 साल बाद पेश की है, जो स्पष्टः मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु पर कोई गौर नही किया और न ही मियाद के बिन्दु पर कोई निर्णय पारित किया है। अपने पक्ष के संबंध में 1989 आरआरडी 259, 2008(2)आरआरटी 1408, 2015(1)आरआरटी 232 पेश की। उनका तर्क है कि कलावती अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थी इसलिये उन्हें धारा 96सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने की न्यायालय से इजाजत लेनी चाहिये थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नही दिया है। अपनी बहस के समर्थन में 2002 आरबीजे 592, 2012(1)आरआरटी 374 पेश की उनका तर्क है कि रैस्पो0 सं0 4 भरोसी व 5 गरीव के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित किया है। परमाल फौत हो चुका है जिसने अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत की है। वसीयत के आधार पर अपीलान्ट परमाल का वारिस है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व पक्षकार बनाये ही एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट को निर्णय दिनांक 25.05.2017 के कोई नोटिस भी जारी नही हुऐ, न ही मृतक परमाल के अधिवक्ता की उपस्थिति में आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने मृतक परमाल के वसीयत के आधार पर कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु उस पर कोई आदेश पारित न कर निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि रैस्पो0 मृतक फटटू पुत्र मंगल की लड़की है। इसलिये विरासतन विवादित आराजी में उसके भाई परमाल के साथ उसका 1/2 हिस्सा बनता है। ग्राम पंचायत ने रैस्पो0 को बिना सुने ही एकतरफा में फट्टू की विरासत अकेले उसके भाई परमाल के नाम दर्ज कर दी है जो विधि विरूद्ध है। रैस्पो0 को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। परमाल ला–औलाद फौत हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसका नाम हजफ कर दिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। इसलिये समस्त आराजी रैस्पो0 1 कलावती के नाम दर्ज की जायेगी। परमाल का कोई वारिस नही है और न ही उसने कभी किसी को गोद लिया है और न ही कोई वसीयत की है। यदि कोई वसीयत है तो वह फर्जी है। अपीलान्ट जिस कथाकथित वसीयत का जिक्र करते हैं वह नोटेरी से तस्दीक है। जिसका कोई महत्व नही है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में विधि विरूद्ध नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नकल लेकर, अन्दर मियाद अपील पेश की थी। उनका तर्क है कि गलत आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है। इसके लिये कोई मियाद नही होती है। ग्राम पंचायत का आदेश विधि सम्मत् नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनकर ही निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। फट्टू पुत्र मंगल जाति मीना की विरासत सरपंच ग्राम पंचायत अतेवा ने उसके एक मात्र पुत्र परमाल पुत्र फट्टू कौम मीना के नाम नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 08.06.1975 से दर्ज की थी। इस आदेश के विरूद्ध परमाल की बहिन कलावती पुत्री फटटू जाति मीना ने उपखण्ड अधिकारी करौली के न्यायालय में अपना 1/2 हिस्सा होने से अपील पेश की थी। दौराने अपील परमाल की मृत्यु को चुकी थी। ऋषीकेश पुत्र भरोसी ने प्रार्थना पत्र पेश कर परमाल के स्थान पर वसीयतनामा के आधार पर पक्षकार बनाने का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 ग्राम पंचायत बीनसपुर कैम्प में रखकर अपील स्वीकार कर, प्रकरण तहसीलदार करौली को पुनः सुनवाई कर, मृतक फट्टू एवं मृतक परमाल पुत्र फट्टू के वारिसान की जॉच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय के लिये रिमाण्ड कर दिया।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के कायम मुकामान पर कोई निर्णय पारित नही किया है। रैस्पो0 परमाल के कायम मुकाम एवं रैस्पो0 सं0 4 भरोसी व 5 गरीव के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत् नही कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व पक्षकार बनाये ही एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व लोक अदालत में पत्रावली को रखने से पूर्व नियमानुसार कायम मुकामान की कार्यवाही कर, संबंधित को लोक अदालत में उपस्थिति के नोटिस जारी कर, उभयपक्ष में मौजूदगी में ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। विवादित आराजी के खातेदार फट्टू पुत्र मंगल के फौत होने पर उसकी विरासत उसके पुत्र परमाल पुत्र फट्टू जाति मीना के नाम नामान्तरकरण संख्या 46 के द्वारा दिनांक 08.06.75 को दर्ज की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का नामा0 विधि अनुरूप दर्ज किया गया है। क्योंकि मीना जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं। क्योकि केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में नोटीफिकेशन जारी नही किया है। मीना जाति में पुत्रियों को कोई कानूनी अधिकार हॉसिल नही है। ग्राम पंचायत ने प्रकरण अनुसूचित जनजाति का होने से विधि सम्मत् नामान्तरकरण दर्ज किया है। जैसाकि माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच ने 1966 आरआरडी 71 में व्यवस्था दी है। अपीलान्ट का कथन है कि कलावती ने नामान्तरकरण की अपील 30 साल बाद पेश की है, जो स्पष्टः मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु पर कोई गौर नही किया और न ही मियाद के बिन्दु पर कोई निर्णय पारित किया है। हम अपीलान्ट के इस कथन से सहमत

हैं। रैस्पो0 कलावती ने अधीनस्थ न्यायालय में 30 साल बाद अपील पेश की है। नामा0 सं0 46 दिनांक 08.06.75 को तस्दीक हुआ है उसकी अपील दिनांक 03.09.2005 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है जो स्पष्ट मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील के संबंध में कोई निर्णय पारित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय को मैरिट पर निर्णय करने से पूर्व मियाद के बिन्दु पर निर्णय करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में उनका निर्णय उचित नही है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 46 निर्णय दिनांक 08.06.1975 विधि सम्मत् है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 46 निर्णय दिनांक 08.06.1975 बहाल करते हुऐ, ग्राम पंचायत अतेवा का आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official